दिनांक 25.07.2022 को जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति तथा एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था की बैठक का कार्यवृत्त ।

सर्वप्रथम महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं उद्यमियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। दिनांक 25.05.2022 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

1. मिनी औद्यौगिक आस्थान भटवाडीसैंण की अद्यतन स्थितिः–

(I) महाप्रबन्धक द्वारा समिति को मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग में आंवटित भूखण्डों, कार्यरत इकाई एवं रिक्त भूखण्डों की स्थिति से अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान में विगत वर्षों में आवंटित भूखण्डों पर शीघ्र कार्यशाला निर्माणकर इकाई स्थापित करने हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग एंव इकाईयों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही मिनी औद्योगिक आस्थान में स्थापित इकाईयों को सिंगल यूज प्लॉस्टिक एवं पॉलिथीन के उपयोग नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग /सम्बन्धित इकाई)

2. मिनी औद्योगिक आस्थान में रिक्त भूखण्ड के आंबटन हेतु प्राप्त आवेदन पर चर्चाः

महाप्रबन्धक द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि मिनी औद्योगिक आस्थान में 01 रिक्त भूखण्ड संख्या 36 (क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर) हेतु 1 उद्यमी (मै. पब्लिसिटी, प्रो. श्री पराग सक्सेना) का प्रिंटिंग पैकेजिंग प्रोडेक्ट हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका आबंटन किया जाना है। समिति द्वारा आवेदनकर्ता से उनके परियोजना के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी, जिसमें आवेदनकर्ता द्वारा अपने परियोजना का विवरण प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आवेदनकर्ता को भूखण्ड आंवटन करने हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग)

3. मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैंण में रिक्त भूमि को विकसित करने सम्बन्ध में:

महाप्रबन्धक द्वारा समिति को अवगत कराया कि मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग में विकसित भूखण्डों के अतिरिक्त कुछ भूमि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अविकसित हैं, जोकि दुकानें, वाहन पार्किंग हेतु आरक्षित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 469.80 वर्ग मी0 है। इसमें कार्यालय का ट्रांसफार्मर, पानी का टैंक भी स्थापित है। पानी के टैंक से लगी भूमि जो कि त्रिभुजाकार आकार में है (क्षेत्रफल 189.00 वर्ग मीटर) को भरकर वाहन पार्किंग के लिये उपयोग में लाया जा सकता है तथा अवशेष 280.80 वर्गमीटर भूमि उद्योग प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा भूमि उद्योग प्रयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग)

4. जनपद की औद्योगिक इकाई को विद्युत संयोजन स्वीकृतिः–

विभाग के अधीन पंजीकृत इकाइयों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्युत विभाग में जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का विद्युत संयोजन प्रकरण लम्बित नहीं है।

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति– 2015 के तहत् औद्योगिक इकाइयों को उपादान स्वीकृतिः–

(क) ब्याज उपादानः–

उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात–दो/15/146– एमएसएमई/ 2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.2 के अन्तर्गत ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम् रू. 08.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त योजना के अन्तर्गत 06 औद्योगिक इकाइयों के ब्याज उपादान का प्रकरण बैंक से विभाग को प्राप्त हुए, जिसमें मात्र मै. रुद्रा बेकर्स, भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग के स्वामी श्री पूरण सिंह बैठक में उपस्थित थे। समिति द्वारा मात्र उपस्थित इकाई के प्रकरण को ब्याज उपादन हेतु स्वीकृत किया गया। समिति द्वारा, अन्य इकाईयों के प्रकरण इकाई स्वामी के द्वारा स्वयं उद्योग मित्र समिति की बैठक में प्रतिभाग करने के पश्चात् ही स्वीकृत किये जायेगें, के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को सम्बन्धित इकाईयों के स्वामियों को निर्देशित करने हेतु कहा गया।

इकाई का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित ऋण लाख रु. में	वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत	अवधि	कुल ब्याज धनराशि रु. में	उद्यमी द्वारा वहन की जानेवाली धनराशि	10 % की दर से ब्याज उपा.की धन. या एक वर्ष में अधिकतम् 08 लाख
5. मै. रुद्रा बेकर्स, भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग	सावधि ऋण	40.00	10.65	01.04.22 से 30.06.22	79,538.00	4,854.00	**74,684.00**
				योगः	79,538.00	4,854.00	**74,684.00**

समिति द्वारा उपरोक्त इकाई को एम.एस.एम.ई. योजना 2015 के अन्तर्गत, ब्याज उपादान धनराशि स्वीकृत की गयी। **(कार्यवाही– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग /सम्बन्धित इकाई)**

(ख) विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति सहायताः–

उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात–दो/15/146–एमएसएमई/2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.5 के अन्तर्गत श्रेणी– **"ए"** के क्षेत्रों हेतु 100 केवीए तक के उद्यमों को प्रथम 05 वर्ष के लिये शत–प्रतिशत

तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है। निम्नांकित औद्योगिक इकाई के विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति सहायता का प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये:

इकाई का नाम	अवधि	पिछली रीडिंग	अंतिम रीडिंग	कुल उपयोग की गई विद्युत यूनिट	दर प्रति यूनिट रू0 में	कुल धनराशि रू0 में	प्रतिपूर्ति हेतु शत प्रतिशत की दर से अनु0 धन0 रू0 में
1	2	3	4	5	6	7	8
मै. रुद्रा बेकर्स, भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग	31.10.21 से 30.11.21	6637	7537	900	04.60 प्रति यू.	4,140.00	4,140.00
	30.11.21 से 31.12.21	7537	8148	611	04.60 प्रति यू.	2,810.60	2,810.60
	31.12.21 से 31.01.22	8148	9435	1287	04.60 प्रति यू.	5,920.20	5,920.20
	31.01.22 से 28.02.22	9435	10334	899	04.60 प्रति यू.	4,135.40	4,135.40
	28.02.22 से 31.03.22	10334	10849	515	04.60 प्रति यू.	2,369.00	2,369.00
	31.03.22 से 30.04.22	10849	11854	1005	04.80 प्रति यू.	4,824.00	4,824.00
	30.04.22 से 31.05.22	11854	12828	974	04.80 प्रति यू.	4,675.20	4,675.20
	31.05.22 से 30.06.22	12828	13561	733	04.80 प्रति यू.	3,518.40	3,518.40
					योगः—	32,392.80	32,392.80 अर्थात् 32,393.00

समिति द्वारा उपरोक्त इकाई को एम.एस.एम.ई. योजना 2015 के अन्तर्गत, ब्याज उपादान धनराशि स्वीकृत की गयी।

अन्त में बैठक का समापन करते हुए उपस्थित अधिकारियों एवं उद्यमियों का सधन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(एच.सी.हटवाल)
महाप्रबन्धक,जि.उ.के.रुद्रप्रयाग
एवं सदस्य सचिव जि.उ.मि.समिति
रुद्रप्रयाग।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
एवं अध्यक्ष, जि.उ.मि.समिति
रुद्रप्रयाग।

।। जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग।।

पत्रांक 1464-90 जि.उ.के. / जि.उ.मि. / 2022–23 दिनांक: जुलाई 30, 2022

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सम्बन्धित विभागों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया निर्धारित समयान्तर्गत कृत कार्यवाही से जिला उद्योग केन्द्र, रुद्रप्रयाग को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि आगामी जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में समिति के समक्ष कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग, की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य विकास अधिकारी, की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
8. अग्रणी बैंक प्रबन्धक, रुद्रप्रयाग।
9. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान रुद्रप्रयाग।
10. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
11. जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
12. जिला पर्यटन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
13. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, रुद्रप्रयाग।
14. अधि. अभियन्ता पेयजल निगम, रुद्रप्रयाग
15. जिला अग्निशमन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
16. अधि. अभि. लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग।
17. जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
18. मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग।
19. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग।
20. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
21. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
22. परियोजना निदेशक, उरेडा रुद्रप्रयाग।
23. जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
24. डेयरी विकास विभाग, रुद्रप्रयाग।
25. इकाई मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
26. इकाई (एमएसएमई नीति ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता) जनपद रुद्रप्रयाग।
27. मै. पब्लिसिटी (प्रो. श्री पराग सक्सेना), सिडकुल हरिद्वार।

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
रुद्रप्रयाग।

दिनांक 25.07.2022 को जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में आयोजित जिला उद्योग मित्र/उप समिति तथा उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम की बैठक की उपस्थिति।

1. श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
2. श्री नरेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
3. श्री एच.सी. हटवाल, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुद्रप्रयाग।
4. श्री मनोज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, रुद्रप्रयाग।
5. श्री वी.एस. गुंसाई, ए.सी.एम.ओ., कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग।
6. श्री डी.एस. डुंगरियाल, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, रुद्रप्रयाग।
7. श्री प्रेम चन्द्र पांडे, सहायक कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
8. श्री संजय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, रुद्रप्रयाग।
9. श्री दीपक पुरोहित, जिला कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
10. श्री योगेन्द्र सिंह, जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
11. श्री सुशील नौटियाल, जिला पर्यटन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
12. श्री कपिल पांडे, जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
13. श्री राहुल पंत, परियोजना अधिकारी, उरेडा, रुद्रप्रयाग।
14. श्री रती लाल शाह, जिला सूचनाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
15. श्री गोविन्द राम टम्टा, सहायक प्रबन्धक, समाज कल्याण विभाग, रुद्रप्रयाग।
16. श्री कमल सिंह रावत, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
17. श्री श्रवण कुमार शर्मा, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षण, रुद्रप्रयाग
19. श्री पूरन सिंह नेगी, मै. सूजल बेकर्स, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
20. श्री बाचस्पति सेमवाल, जिला भेषज संघ प्रिटिंग प्रेस, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
21. श्री जयप्रकाश सेमवाल, जिला भेषज संघ प्रिटिंग प्रेस, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
22. श्री गोविन्दराम थपलियाल, मै. शिवालिक नेचुरल फूड प्राडेक्ट, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
23. श्री प्रमोद सिंह, मै. मन्दाकिनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्र, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
24. श्री महेशानन्द जोशी, मै. जोशी फर्नीचर एडं डेकोरेटर, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
25. श्रीमती रंजना रावत, मै. गढ़माटी इंटरप्राइजेज, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
26. श्री अरुण चमोला, मै. रुद्रा वेवरेज, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
27. श्री पराग सक्सेना, पब्लिसिटी, सिडकुल हरिद्वार।
28. श्री अनुराग सक्सेना, पब्लिसिटी, सिडकुल हरिद्वार।